

1.	विभाग—	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
2.	योजना का नाम –	कौशल विकास योजना।
3.	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी—	<p>कौशल विकास योजना के अन्तर्गत तीन योजनायें संचालित हैं।</p> <p>1— उ0प्र0 कौशल विकास मिशन योजना—उ0प्र0 सरकार द्वारा अल्पशिक्षित व ड्राप आउट युवाओं को उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के माध्यम से रोजगारपरक अल्पकालिन प्रशिक्षण दिलाकर उनको रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा जाता है।</p> <p>2—दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डी0डी0यू0—जी0के0वाई0)ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डी0डी0यू0—जी0के0वाई0) ग्रामीण युवाओं जो 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के –बी0पी0एल0 परिवार के सदस्य हो अथवा मनरेगा योजना में पिछले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष कम से कम 35 दिन मजदूरी की हो Fkok Particitary Identification of Poor (PIP) प्रक्रिया द्वारा चयनित हो।</p> <p>3—प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (स्टेट कम्पोनेन्ट)—कौशल विकास एवं उद्यम शीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी0एम0के0वी0वाई0—स्टेट कम्पोनेन्ट) का क्रियान्वयन किया जा रहा है इस योजना के तहत पाठ्यक्रमों में सुधार बेहतर प्रशिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षको पर विशेष जोर दिया गया है। अभ्यर्थियों को पहले आओ पहले पाओं के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। प्रत्येक बैच में 25 प्रतिशत अभ्यर्थी एस0सी0/एस0टी0 के होने आवश्यक हैं।</p>
4.	पात्रता की अर्हता—	14 से 35 वर्ष के बीच की आयु के कम से कम कक्षा 5 या अधिक उत्तीर्ण सभी युवा जिन्हें अपनी अर्जन क्षमता एवं जीवन स्तर बढ़ाने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अधिकतम योग्यता पाठ्यक्रमों के अनुसार।
5.	आवेदन की प्रक्रिया—	ऑन-लाइन
6.	लिंक वेबसाईट	http://www.upsdm.in/
7..	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के प्रधानाचार्य राजकीय, आई0टी0आई0, साकेत अथवा संयुक्त निदेशक, आई0टी0आई0, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।